Phone & Fax no. 0135-2658294 E-mail: cfshiwa-forest-uk@nic.in

कार्यालय वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, उत्तराखण्ड, देहरादून।

पत्रांक 771 /12-1 दिनांक 20 अक्टूबर, 2023

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक/ नोडल अधिकारी
वन संरक्षण, इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
देहरादून।

विषयः- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में द्वारीखाल से बरसूड़ी (लम्बाई 0.00 से 0.500 कि०मी०) मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.252 है० वनभूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन के प्रकरण में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में। (Online Proposal No- FP/ UK/ ROAD / 145560/2021)

संदर्भः- Minutes of the Foretightly Regional Cordination Meeting 29th August 2023.

महोदय,

उपरोकत विषय में प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार नें अपने कार्यालय पत्रांक- 1191/12-1 दिनांक- 13.10.2023 से अवगत कराया है कि द्वारीखाल से बरसूड़ी (0.00 से 0.500 कि०मी०) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा दिनांक- 29.08.2023 को आहूत बैठक में उक्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर दो बिंदुओं पर आख्या चाही गयी थी, जो कि उनके द्वारा निम्न प्रकार इस कार्यालय को प्रेषित की गई है:-

<u>बिन्दु संख्या 01:-</u> प्रस्तावित मोटर मार्ग द्वारीखाल से बरसूड़ी का अधिशासी अभियन्ता पी०एम०जी०एस०वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार एवं अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० लैन्सडौन के साथ प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार द्वारा दिनांक- 05.09.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि उक्त मार्ग के प्रारंभिक भाग (0.00 से 0.500 कि0मी0) का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/145560/2021) से गठित किया गया था, जिसकी स्वीकृति अपेक्षित है। इस भाग में प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अतिथि तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

<u>बिन्दु संख्या 02:-</u> मार्ग के 0.00 से 0.500 कि0मी0 भाग के आगे 3.425 कि०मी० अर्थात् द्वारीखाल से 3.925 कि०मी० तक का निर्माण कार्य पूर्व में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० लैन्सडौन द्वारा कराया गया है जो यानखाल-मल्लगांव-सुरालगांव मोटर मार्ग के नाम से है एवं इसकी विधिवत स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक- 8बी0/यू0सी0पी0/06/144/2009/एफ0सी0/2207 दिनांक-10.01.2011 द्वारा जारी की गई है। (संलग्न-01) उक्त के अतिरिक्त कि०मी० सं0- 3.925 से कि०मी० सं0-7.00 तक (3.075 कि०मी०) का निर्माण पी०एम०जी०एस०वाई० सिंचाई खण्ड कोटद्वार द्वारा गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव FP/UK/ROAD /24764/2017 के अन्तर्गत किया गया है। इस प्रस्ताव की विधिवत स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/39/2019/एफ0सी0/2371 दिनांक-07.03.2019 द्वारा प्राप्त है। (संलग्न-02) इनकी स्थिति रेखा चित्र द्वारा निम्न प्रकार स्पष्ट की जा रही है:-

O/C

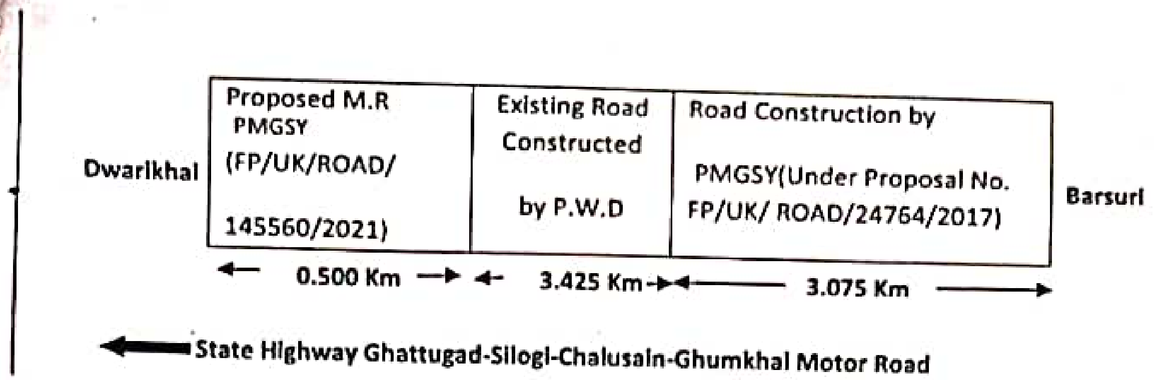

अतः उक्त रेखाचित्र के अनुसार प्रारम्भिक 0.500 कि०मी० भाग के निर्माण हेतु वनभूमि प्रस्ताव सं0– FP/UK/ROAD/145560/2021 की महत्ता को देखते हुए इसकी सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने हेतु अग्रिम कार्यवाही किये जाने पर विचार करना चाहें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार

भवदीय

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

पत्रांकः– 771 / 12–1 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं अग्रेत्तर कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. मुख्य वन संरक्षक (गढ़वाल) उत्तराखण्ड, पौडी।
2. प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार को उनके सदंर्भित पत्र के क्रम में।

(राजीव धीमान)
वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त, देहरादून।

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

Tel/Fax No. 01382-228467
E.mail.dfo_lansdowne@yahoo.com

सेवा में

पत्रांकः- 1199 / 12-1 ,दिनांक, कोटद्वार, 13/ 10/, 2023

वन संरक्षक,
शिवालिक वृत्त,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषयः- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पौड़ी गढ़वाल में द्वारीखाल से बरसूड़ी (लम्बाई 0.00 से 0.500 कि0मी0) मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.252 है0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन (वन भूमि Online Proposal No. FP/UK/ROAD/145560/2021) हेतु प्रकरण में लगी आपत्तियों के निराकरण के सम्बन्ध में।

सन्दर्भः- MINUTS OF THE FORTIGHTY REGIONAL CORRDINATION MEETING 29TH AUGUST 2023

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि द्वारीखाल से बरसूड़ी (लम्बाई 0.00 से 0.500 कि0मी0) मोटर मार्ग के निर्माण हेतु भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा दिनांक 29.08.2023 को आहूत बैठक में उक्त मोटर मार्ग का स्थलीय निरीक्षण कर दो बिंदुओं पर आख्या चाही गयी जो निम्नानुसार है।

बिन्दु संख्या-01:-बिन्दु संख्या 1 के कम में प्रस्तावित मोटर मार्ग द्वारीखाल से बरसूड़ी का अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार एवं अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 लैन्सडौन के साथ दिनांक 05.09.2023 को स्थलीय निरीक्षण किया गया, स्थलीय निरीक्षण के दौरान अधिशासी अभियन्ता पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार द्वारा अवगत कराया गया कि प्रारम्भिक भाग कि0मी0 0.00 से 0.500 मी0 का वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव वर्तमान में प्रस्ताव संख्या (FP/UK/ROAD/145560/2021) द्वारा गठित किया गया है जिसकी स्वीकृति आपेक्षित है एवं जिस पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आतिथि तक कोई भी निर्माण कार्य नहीं कराया गया है।

बिन्दु संख्या-02:- बिन्दु संख्या 2 के कम में अवगत कराना है कि कि0मी0 0.00 से 0.500 मी0 आगे (लं0 3.425 कि0मी0) अर्थात् द्वारीखाल से कि0मी0 3.925 तक निर्माण कार्य पूर्व में अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लो0नि0वि0 लैन्सडौन कराया गया है, जो थानखाल-भल्लगांव-सुरालगांव मोटर मार्ग के नाम से है एवं जिसकी विधिवत स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/144/2009/एफ0सी0/2207 दिनांक 10.01.2011 द्वारा प्राप्त है। (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है) उक्त के अतिरिक्त कि0मी0 3.925 से कि0मी0 7.00 तक का (लं0 3.075 कि0मी0) पी0एम0जी0एस0वाई0 सिंचाई खण्ड कोटद्वार द्वारा गठित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव (FP/UK/ROAD/24764/2017), जिसकी विधिवत स्वीकृति भारत सरकार पर्यावरण, वन एवं पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून के पत्रांक 8बी0/यू0सी0पी0/06/39/2019/एफ0 सी0/2371 दिनांक 07.03.2019 द्वारा प्राप्त है। (सत्यापित छायाप्रति संलग्न है)

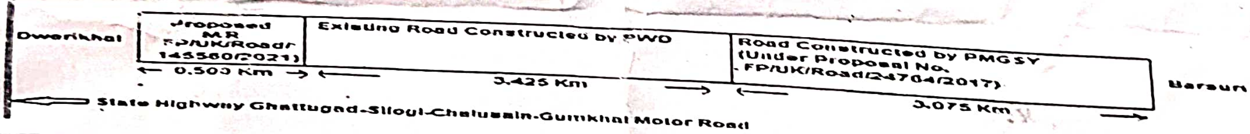

अतः महोदय उक्त बार चार्ट के अनुसार प्रारम्भिक 0.500 कि0मी0 भाग के वनभूमि प्रस्ताव सं0 FP/UK/ROAD/145560/2021 की महत्ता को देखते हुए द्वारीखाल बरसूड़ी के छूट गये भू भाग 0.500 कि0मी0 पर सैद्धान्तिक स्वीकृति निर्गत करने हेतु आख्या संस्तुति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्नः- उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

16/10/2023

पत्रांक ——— / ——— दिनांकित

प्रतिलिपि- अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण इन्दिरा नगर,फॉरेस्ट कॉलोनी, उत्तराखण्ड, देहरादून को उपरोक्तानुसार सूचनार्थ सादर प्रेषित।

(नवीन चन्द्र पन्त)
प्रभागीय वनाधिकारी,
लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।

कार्यालय
अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)।

Phone : 01382- 224570
Phone : 01382- 229847
Fax : 01382- 229847
Email:eepmgsykotdwara@rediffmail.com

पत्रांक 792 पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड/कोटद्वार दिनांक 26/09/2023

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग कोटद्वार
कोटद्वार

प्रभागीय वनाधिकारी
लैन्सडौन वन प्रभाग
कोटद्वार (गढ़वाल)
27/9

विषयः– द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के अभिलेखो के सम्बन्ध में।

संदर्भः– आपके कार्यालय के पत्रॉक 779/12–1 दिनॉक 02.09.2023 एवं अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग लैन्सडौन गढवाल के पत्रॉक 2914/21सी दिनॉक 19.09.2023।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रो का अवलोकन करने का कष्ट करें। जिसमें भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय/एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून द्वारा दिनॉक 29.08.2023 को आहूत रीजनल एम्पावर्ड कमेटी (REC) की ऑनलाईन बैठक में दिये गये निर्देशों के अनुपालन में द्वारीखाल बरसूडी मोटर मार्ग के निर्माण में कि0मी0 0.00 से कि0मी0 7.00 तक प्रभावित भूमि के सम्बन्ध में वनविभाग, लोक निर्माण विभाग व पी0एम0जी0एस0वाई के साथ दिनॉक 05.09.2023 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। अवगत कराना है कि द्वारीखाल के कि0मी0 0.00 से कि0मी0 0.500 तक पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा वनभूमि ऑनलाईन प्रपोजल सं0 FP/UK/ROAD/145560/2021 गठित किया गया है जिस पर भारत सरकार से सैद्धान्तिक स्वीकृति आपेक्षित है।

अधिशासी अभियन्ता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग लैन्सडौन गढवाल द्वारा अवगत कराया गया है कि द्वारीखाल के प्रारम्भिक भाग 0.500 मीटर छोडकर उससे आगे (लम्बाई 3.425 कि0मी0) अर्थात द्वारीखाल से कि0मी0 3.925 तक निर्माण कार्य लोक निर्माण विभाग लैन्सडौन द्वारा करवाया गया है। जिसमें नापभूमि एवं वनभूमि प्रभावित हुयी है। **(छायाप्रति सत्यापित संलग्न–9 पृष्ठ)**

द्वारीखाल के कि0मी0 3.925 से कि0मी0 7.00 तक पी0एम0जी0एस0वाई0 द्वारा वनभूमि ऑनलाईन प्रपोजल सं0 FP/UK/ROAD/24764/2017 गठित किया गया है जिसपर भारत सरकार के पत्रॉक 8बी/यू0सी0पी0/06/39/2019/एफ0सी0/2371 दिनॉक 07.03.2019 के द्वारा 2.122 हे0 की सैदान्तिक स्वीकृति एवं पत्रॉक 8बी/यू0सी0पी0/06/39/2019/1021 दिनॉक 21.10.2022 के द्वारा 2.122 हे0 वनभमि की विधिवत स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है। **(छायाप्रति सत्यापित संलग्न–5 पृष्ठ)**

अतः सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचांई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

पत्रांक 792 पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड/कोटद्वार तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडाउन गढ़वाल।
2. सहायक अभियन्ता षष्ठम् पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड कोटद्वार को उनके पत्रॉक 80/उपखण्ड षष्ठम्/पी0एम0जी0एस0वाई0–सिंचाई खण्ड/कोटद्वार दिनॉक 23.09.2023 के कम में।

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0 सिचांई खण्ड
कोटद्वार (गढ़वाल)

ALL LETTER 7

पत्रांक सं० 1619
दि० 19/9/23

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रा0खण्ड,लो0नि0वि0,लैन्सडौन(गढ़वाल)।

UTTARAKHAND

उत्तराखण्ड शासन

E Mail ID:- eepwdlansdowne@gmail.com. & eepwdlansdowne@rediffmail.com. Phone/Fax : (01386)262260

पत्रांक 2914 /21सी० दि0 19-9-23

सेवा में

अधिशासी अभियन्ता
पी0एम0जी0एस0वाई0,
सिंचाई खण्ड, कोटद्वार
पौड़ी गढ़वाल

विषय :— द्वारीखाल—बरसूड़ी मोटर मार्ग के अभिलेखों के सम्बन्ध में।

संदर्भ :— प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौंन वन प्रभाग कोटद्वार का कार्यालय पत्रांक 779 / 12—1दिनांक 02.09.2023.

महोदय,

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्र के क्रम में अवगत कराना है कि उक्त मोटर मार्ग के आरम्भ का भा हल्का वाहन मोटर मार्ग लम्बाई 3.000 कि0मी0 इस खण्ड के द्वारा ग्राम—ग्वीन छोटा, बड़ा एवं भलगॉव की भूमि त निर्माण किया गया था। मोटर मार्ग के निर्माणान्तर्गत विभाग के नाम क्रय कर नाप भूमि का मुआवजा वितरण व विवरण प्रमाणित छायाप्रति 6—अदद एवं कि0मी0 3.00 से आगे थानखाल—भलगॉव—सुरालगॉव मोटर मार्ग के निर्मा हेतु आपेक्षित 1.575 हेक्टे0 वन भूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धांतिक एवं विधिवत स्वीकृति के पत्र 3—अदद संलग्न कर प्रेषि हैं।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार

19.9.23

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
लैन्सडौंन गढ़वाल

पत्रांक / दि0

प्रतिलिपि :— प्रभागीय वनाधिकारी लैन्सडौंन वन प्रभाग कोटद्वार को उपरोक्त संदर्भित पत्र के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :— सहायक अभियन्ता प्रा0ख0,लो0नि0वि0 लैन्सडौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— अपर सहायक अभियन्ता / खण्डीय अमीन प्रा0ख0,लो0नि0वि0 लैन्सडौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियंता
प्रा0ख0,लो0नि0वि0
लैन्सडौंन गढ़वाल

आपसी समझौते से अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का क्रय-प्राकलन

प्रयोजन का नाम :–जनपद पौड़ी गढ़वाल में हीरालाल – नरसूड़ी मोटर मार्ग निर्माण / हल्का वाहन मार्ग निर्माण हेतु जमींदारी भूमि को आपसी समझौते द्वारा क्रय किया जाना। – कि०मी० 0.0 से 0.500 तक

ग्राम :– मिलाइगांव पट्टी :– लंगूरतल्ला परगना :– गंगासलाण तहसील :– लैन्सडौन खण्ड :– प्रा० ख० लो० नि० जिला :– पौड़ी गढ़वाल

क्र० सं०	नाम भूमिधर खुदकाश्त	खतौनी नम्बर	खेत नम्बर	साबिक रकबा (है०)	अर्जित रकबा (है०)	किस्म जमीन	भूमि की वर्तमान दर प्रति नाली	वर्तमान काबिज काश्त दाखिल मौके पर जिनको प्रतिकर भुगतान किया जाना है	कुल मुआवजा धनराशि जो वितरित की जानी है
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
1-	नई पत्ती —	7	2697	1.334	.040	आलीसे	2000 –	राजेन्द्र प्रसाद पुत्र प्यारेलाल (.040)	4000=00
			2697 वृ	100.00	4.00	1.10	88.00	@ 13/-	1144=00
									5144=00
2-	नई पत्ती — आवेदन	6	2715 वृ	150.00	4.00	2.00	177.00	@ 13/- 2311=00	~~2311~~
								① हीरालाल पुत्र वालीराम	1155=00
								② चन्द्रमोहन पुत्र वालीराम	1155=00
			2715	0.124	.030	आलीसे	2000/-	① जोधीलाल पुत्र वालीराम	1500/-
								② जगमोहन पुत्र वालीराम	1500/-
3-	कामल सिंह आदि	5	2746	0.023	.005	आलीसे	2000/-	कामल सिंह (.010)	1000/-
		4	2748	0.020	.005	"	2000/-		
	योग:	—	—	—	—	—	—	Rs —	11454=00

लेखपाल कर्ता –

(हस्ताक्षर) 13/4/2000
(महिपाल सिंह रावत)
अभि०
प्रा० ख० लो० नि० वि०
लैन्सडौन।

तस्दीक कर्ता,

हल्का पटवारी
पट्टी लंगूरतल्ला।

प्रतिहस्ताक्षरित,

तहसीलदार
लैन्सडौन,

(हस्ताक्षर)
सहायक अभियन्ता प्रथम अभि०
प्रान्तीय ख० लो० नि० वि०
लैन्सडौन (गढ़वाल)

हस्ताक्षर अधिशासी अभियन्ता

(हस्ताक्षर)
सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो० नि० वि०
लैन्सडौन

आपसी समझौते से अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का क्रय-प्राकलन

प्रयोजन का नाम :-जनपद पौड़ी गढ़वाल में ……… ……… द्वारीखाल — बरस्वड़ी ……… ……… मोटर मार्ग निर्माण / हल्का वाहन मार्ग निर्माण हेतु जमीदारी भूमि को आपसी समझौते द्वारा क्रय किया जाना। कि मी 0.500 से 1.050 तक

खण्ड :- प्रा० ख० लो० नि० वि

ग्राम :- गवीन छोटा पट्टी :- लंगूरवला परगना :- गंगा सलाण तहसील :- लैन्सडौन जिला :- पौड़ी गढ़वाल

क्र० सं०	नाम भूमिधर खुदकाश्त	खतौनी नम्बर	खेत नम्बर	साबिक रकबा	अर्जित रकबा	किस्म जमीन	भूमि की वर्तमान दर प्रति नाली	वर्तमान काबिज काश्त दाखिल मौके पर जिनको प्रतिकर भुगतान किया जाना है	कुल मुआवजा धनराशि जो वितरित की जानी है	
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	
1-	भैरव सिंह आदि	19	293 292 291 290 289	0.60 0.015 0.059 0.021 0.044	.003 0.015 0.059 .005 .005	अतिरिक्त —"— —"— —"— —"—	2000=00 —"— —"— —"— —"—	(1) नारायण सिंह S/o रणजीत सिंह 0.038 (2) उमेद सिंह S/o मोहन सिंह 0.023 (3) कमल सिंह S/o गजे सिंह 0.023 (4) रतन सिंह S/o तरवलावर सिंह	1800=00 2300=00 2300=00 2323=00	X
2-	दर्शनी देवी आदि	8	287 284	.006 .008	.004 .008	—"— —"—	—"— —"—	(1) शिव सिंह S/o मुकुन्द सिंह 0.012	1200=00 1125	
			282 283 285	.009 .010 .006	.009 .010 .001	—"— —"— —"—	—"— —"— —"—	शम्भू सिंह S/o मुकुन्द सिंह 0.020	2000=00	
3-	विजय सिंह आदि	17	269 264 262 249 250 251 241	0.010 .016 0.030 0.020 0.029 0.020 0.033	0.001 0.015 0.028 0.020 0.029 0.010 0.003	अतिरिक्त	2000=00	(1) लक्ष्मी S/o सत्यपाल (0.53) (2) भगवान सिंह S/o तरवलाव सिंह (0.53)	5300=00 5300=00	
			266	0.016	0.015	—"—	—"—	लक्ष्मी S/o सत्यपाल .015	1500=00	
			263	0.026	0.026	—"—	—"—	तीरथ सिंह S/o श्याम सिंह 0.026	2600=00	
			212 267 268	0.021 0.014 0.48	0.021 .008 .005	—"— —"—	—"— —"—	[illegible] भगवान सिंह S/o तरवलाल (.013)	2100=00 1300=00	
4-	नारायण सिंह आदि	13	260 261 207	.019 0.020 0.025	0.010 0.020 0.005	—"— —"— —"—	—"— —"— —"—	(1) नारायण सिंह S/o रणजीत सिंह .011 (2) गोपाल सिंह S/o रणजीत सिंह .011 (3) पृथ्वी सिंह S/o रूपाल सिंह 0.013	1400=00 1100=00 1300=00	
			247 248	.009 .009	.009 .009	—"— —"—	—"— —"—	गोपाल सिंह S/o रणजीत सिंह .018	1800=00	
			211 213 210	0.013 0.033 0.021	0.013 0.015 0.021	—"— —"— —"—	—"— —"— —"—	गोपाल सिंह S/o —"— —"— 0.018 नारायण सिंह S/o रणजीत सिंह 0.021	1800=00 2100=00	
5	द्रौपदी आदि	11	245 246	0.34 0.043	0.034 0.043	—"— —"—	—"— —"—	जोत सिंह S/o उदय सिंह (0.077)	7700=00	
6-	कुंवर सिंह आदि	4	244	0.18	0.018	—"—	—"—	पुष्कर सिंह S/o सुरतन सिंह	1800=00	
			304 214 215	.029 .006 .008	.003 .003 .005	—"— —"— —"—	—"— —"— —"—	विक्रम सिंह S/o मुकुन्द सिंह .011	1100=00	
7-	कुल सिंह आदि	3	243	0.23	0.020	—"—	—"—	महावीर सिंह S/o गंगा सिंह 0.020	2000=00	
	योग →		—	—	0.518	—	—		51800=00	

तैयारकर्ता

(महीपाल सिंह रावत)

अमीन

प्रा० खण्ड लो० नि० वि०

तस्दीककर्ता

हल्का पटवारी

लंगूरवला

प्रतिहस्ताक्षरी

हस्ता० अस्पष्ट

तहसीलदार

लैन्सडौन

सहायक अभियन्ता प्रथम

प्रान्तीय खण्ड लो० नि० वि०

अधिशासी

प्रान्तीय खण्ड

आपसी समझौते से अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का क्रय-प्राक्कलन

प्रयोजन का नाम :-जनपद पौड़ी गढ़वाल में "द्वारीखाल" "नरसूड़ी" "L.V.R का" मोटर मार्ग निर्माण / हल्का वाहन मार्ग निर्माण हेतु जमींदारी भूमि को आपसी समझौते द्वारा क्रय किया जाना। कि.मी. 0.500 से 1.050 तक

खण्ड :- प्रा० ख० लो० नि० वि० लैन्सडौन
जिला :- पौड़ी गढ़वाल

ग्राम :- ग्वीन छोटा पट्टी :- लंगूरवला परगना :- गंगा सलाण तहसील :- लैन्सडौन

क्र० सं०	नाम भूमिधर खुदकाश्त	खतौनी नम्बर	खेत नम्बर	साबिक रकबा	अर्जित रकबा	किस्म जमीन	भूमि की वर्तमान दर प्रति नाली	वर्तमान काबिज काश्त दाखिल मौके पर जिनको प्रतिकर भुगतान किया जाना है	कुल मुआवजा धनराशि जो वितरित की जानी है	अन्य विवरण
		फसल का मुआवजा				फसल	पैदावार Per Km			
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
1-	कुंवर सिंह आदि श्री पुष्कर सिंह सुखदेव सिंह	4	214 215 216 217 304 305 306	.006 .008 .019 .013 .029 .024 .044		गेहूं "	70.kg/नाली "	0.143 है० 70 kg x 7 नाली = 500 kg. आय		
						गेहूं की फसल वर्तमान दर @ 7-00/kg.		500 kg x 7 = Rs. 3500-00		कार्यप्रति सत्यापित
	योग	-	-	-	0.143	70.kg	500 kg. @ 7.00. Total Rs. 3500-00			

क्रमशः - - - ②

आपसी समझौते से अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का क्रय-प्राकलन

प्रयोजन का नाम :-जनपद पौड़ी गढ़वाल में .... द्वारीखाल - .... वरसूड़ी .... मोटर मार्ग निर्माण / हल्का वाहन मार्ग निर्माण हेतु जमींदारी भूमि को आपसी समझौते द्वारा क्रय किया जाना। कि०मी० 1.050 से 2.200 तक प्रा० ख० लो० नि० वि० लैन्सडौन

ग्राम :- खीन नड़ा पट्टी :- लंगूरवाला परगना :- गंगा सलाण तहसील :- लैंसडौन जिला :- पौड़ी गढ़वाल

क्र० सं०	नाम भूमिधर एवकाश्त०	खतौनी नम्बर	खेत नम्बर	साबिक रकबा	अर्जित रकबा	किस्म जमीन	भूमि की वर्तमान दर प्रति नाली	वर्तमान काबिज काश्त दाखिल मौके पर जिनको प्रतिकर भुगतान किया जाना है	कुल मुआवजा धनराशि जो वितरित की जानी है	अन्य विवरण
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०	११
1-	शिवसिंह आदि -	50	2342	0.013	0.008	अतिलिते	2000/-	शिवसिंह S/o मूरलीसिंह (0.025)	~~2400=00~~ 2500	✓
			2343	0.013	0.013	"	"			
			2338	0.010	.004	"	"			
2-	" -do-	50	2274	0.041	0.040 .020 .020	"	"	पूर्णसिंह S/o त्रिलोक सिंह -do- (0.054)	~~5400=00~~ 5375	✓
			2107	0.020	.018	"	"			
			2110	0.011	.016	"	"			
		50	2275	0.043	0.030	अतिलिते	"	सत्यवीर सिंह S/o शंकर सिंह (0.030)	3000	✓
		50	2108	0.018	0.018	अतिलिते	"	रघुवीर सिंह S/o कन्हैया सिंह (.031)	~~3100=00~~ 3125	✓
			2109	0.013	0.013	"	"			
3-	कुलदीप सिंह आदि -	11	2329	0.018	0.010	अतिलिते	"	शिवनारायण सिंह S/o दयाल सिंह (0.070)	7000=00	✓
			2330	0.011	0.011	"	"			
			2331	0.024	0.013	"	"			
			2113	0.018	0.014					
			2114	0.019	0.019	"	"			
			1645	0.029	.003	"	"			
4-	चतर सिंह आदि -	22	1430	0.078	0.015	अतिलिते	2000/-	सत्यवीर सिंह S/o शंकर सिंह (0.015)	1500	✓
			2315	.009	.009	अतिलिते	2000/-	रघुवीर सिंह S/o कन्हैया सिंह (.096)	~~9600=00~~ 9625	✓
			2316	.008	.008					
			2317	.009	.008					
			2306	0.040	.033	do	do			
			2307	0.016	.010					
			2308	0.016	.016					
			2309	0.011	.011					
5-	जोगी सिंह आदि -	29	2304	0.013	.008	-do-	-do-	आलमसिंह S/o महेन्द्र सिंह (.019)	~~1900=00~~ 1875=00	✓
			2305	0.016	.011	-do-	-do-			
			2119	0.033	0.010	-do-	-do-	मुकुन्द सिंह S/o दीवान सिंह (.010)	1000=00	✓
6	उमराव सिंह आदि	5	2277	.012	.004	अतिलिते	2000/-	धानवीर सिंह S/o बख्तावर सिंह (.010) (II)	1000=00	✓
			2266	.021	.003	-"-	-"-			
			2267	.020	.003	-"-	-"-			
		7	2159	.011	.011	-"-	-"-	उमरावसिंह S/o नैनसिंह .031 (III)	3125=00	✓
			1981	.035	.020	-"-	-"-			
		7	2279	-	.008	-"-	-"-	अशोक कुमार S/o हीरासिंह (.036) (III)	3625=00	✓
			2278	.015	.015	-"-	-"-			
			1668	.040	.003	-"-	-"-			
			2158	.016	.010	-"-	-"-			
7-	केशर सिंह आदि -	14	19	.021	.008	-"-	-"-	केशर सिंह S/o माधोसिंह (.011) (III)	1125=00	✓
		15	1688	.028	.003	-"-	-"-			
		15	1687	0.023	0.023	-"-	-"-	सुरेन्द्र सिंह S/o कृपाल सिंह 0.134 (III)	13375	✓
		14	2157	.013	.008	-"-	-"-			
			1669	.023	.011	-"-	-"-			
			1670	.034	.034	-"-	-"-			
			1632	.043	.043	-"-	-"-			
			1629	.026	.015	-"-	-"-			

क्रमशः पृष्ठ संख्या-

केमरा! --- (2)

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०

आपसी समझौते से अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का क्रय-प्राक्कलन

प्रयोजन का नाम :–जनपद पौड़ी गढ़वाल में .... द्वारीखाल — वरसूड़ी .... मोटर मार्ग निर्माण / हल्का वाहन मार्ग निर्माण
हेतु जमींदारी भूमि को आपसी समझौते द्वारा क्रय किया जाना। कि० मी० 1.050 से 2.200 तक खण्ड :– प्रा० ख० लो० नि० वि०

ग्राम :– ग्वीनबड़ा पट्टी :– लंगूरवल्ला परगना :– गंगासलाण तहसील :– लैंसडौन. जिला :– पौड़ी गढ़वाल

क्र० सं०	नाम भूमिधर मुदकाश्त	खतौनी नम्बर	खेत नम्बर	साबिक रकबा	अर्जित रकबा	किस्म जमीन (2)	भूमि की वर्तमान दर प्रति नाली	वर्तमान काबिज काश्त दाखिल मौके पर जिनको प्रतिकर भुगतान किया जाना है	कुल मुआवजा धनराशि जो वितरित की जानी है
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
8-	वीरबल सिंह आदि -	41	2156 1671 1630 18	0.013 0.030 0.016 0.034	.001 0.023 0.016 0.020	असिंचित "	2000=00 "	देवेन्द्र सिंह पु० हुकम सिंह (0.060)	6000=00
9-	आलम सिंह आदि	3	1996 1997 1998 1625 1626 23 33	0.015 0.006 0.006 0.060 0.026 0.021 0.021	0.010 0.006 0.006 0.030 0.026 0.014 0.008	असिंचित —"— —"— —"— —"— —"— —"—	2000=00 —"— —"— —"— —"— —"— —"—	शिवना रामण सिंह पु० बुद्धि सिंह (0.100)	10,000=00
10-	चन्द्रमोहन सिंह आदि	27	1975 1976	0.030 0.020	0.030 .005	असिंचित —"—	2000=00 —"—	चन्द्रमोहन सिंह पु० जयमल सिंह (0.035)	3500=00
11-	गंगा सिंह आदि	17	1719	0.163	0.063	असिंचित	—"—	गंगा सिंह पु० लछमण सिंह (0.063)	6300=00 6250
~~12-~~	~~अनिल कुमार आदि~~	~~2~~	~~1641~~	~~0.024~~	~~.00~~	~~—~~	~~2000=00~~	~~अनिल कुमार पु० रामचन्द्र~~	
13-	जवाहर सिंह पु० भीम सिंह	28	1636 1637	0.015 0.010	0.010 0.003	असिंचित "	2000=00 "	जवाहर सिंह पु० भीम सिंह (0.013)	1300=00 1250
14-	बालम सिंह आदि -	39	1638 15	0.005 0.020	0.003 0.018	—"— —"—	—"— —"—	बालम सिंह पु० मान सिंह .021	2100=00
15-	चरण सिंह आदि -	19 21	1631 1639 2341	0.016 0.021 0.045	0.013 .004 .003	—"— —"— —"—	—"— —"— —"—	उपेन्द्र सिंह पु० चरण सिंह (0.020)	2000=00
16-	रामचन्द्र सिंह आदि	45	1627 1628 22	0.046 0.026 0.045	.008 0.025 0.045	असिंचित " —"—	—"— —"— —"—	रामचन्द्र पु० जगदीश .033 दिनेश पु० जगदीश (0.045)	3300=00 4500=00
17-	फते सिंह आदि	35	16	0.019	0.010	—"—	—"—	फते सिंह पु० अमर सिंह (0.010)	1000=00
18-	दलबीर सिंह आदि	32	11 10	0.023 0.029	.004 .005	—"— —"—	—"— —"—	प्रीतम सिंह पु० दलबीर (.009)	900=00
	कुल योग	—	—	—	0.981 है०	—		—	98,000=00

तैयार कर्ता।
(आदिपाल सिंह रावत)
अमीन
प्रा० ख० लो० नि० वि०
लैंसडौन।

तस्दीककर्ता
हल्का पटवारी
पट्टी लंगूरवल्ला

प्रतिहस्ताक्षरकर्ता,
तहसीलदार
लैंसडौन

सहायक अभियन्ता प्रथम
प्रा० ख० लो० नि० वि०
लैंसडौन (गढ़वाल)

अधिशासी अभियन्ता
प्रा० ख० लो० नि० वि०
लैंसडौन

आपसी समझौते से अधिगृहीत की जाने वाली भूमि का क्रय-प्राकलन

प्रयोजन का नाम :–जनपद पौड़ी गढ़वाल में ~~मोटर मार्ग निर्माण~~ / हल्का वाहन मार्ग निर्माण हेतु जमींदारी भूमि को आपसी समझौते द्वारा क्रय किया जाना। द्वारीखाल - चरख़ी? कि० मी० 2.200 से 3.00 तक — खण्ड :– प्रा० ख० लो० नि० — जिला :– पौड़ी गढ़०

ग्राम :– मलगांव पट्टी :– लंगूरतल्ला परगना :– गंगा सलाण तहसील :– लैन्सडौन.

क्र० सं०	नाम भूमिधर मुद्दकाश्त	खतौनी नम्बर	खेत नम्बर	वास्तविक रकबा	अर्जित रकबा	किस्म जमीन	भूमि की वर्तमान दर प्रति नाली	वर्तमान काबिज काश्त दाखिल जोत पर जिनको प्रतिकर भुगतान किया जाना है	कुल मुआवजा धनराशि जो वितरित की जानी है
१	२	३	४	५	६	७	८	९	१०
1-	[illegible] पत्नी	3	3078	0.521	0.040	[illegible]	2000/-	श्री	4000/-
2-	सोरा देवी आदि	16	2261 2262 2264 2265 2266 3081	0.061 0.015 [illegible] 0.095 0.025 0.080	.001 .005 0.050 0.070 .010 0.060	[illegible]	2000/-	श्री सोरा देवी [illegible] 0.196	19600/-
	योग							Rs -	23600/-

तैयारकर्ता — [signature] 10/11/2020 — (आदिपाललदेरवाल?) अभि० प्रा०खण्ड लो०नि०वि० लैन्सडौन।

तस्दीककर्ता — हल्का पटवारी पट्टी लंगूर [illegible]

प्रतिहस्ताक्षर — तहसीलदार लैन्सडौन।

[signature] सहायक अभियन्ता प्रथम, प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि० लैन्सडौन (गढ़वाल)

[signature] अधिशासी [illegible] प्रान्तीय खण्ड, लैन्सडौन

[illegible] लगवाइये

सहायक अभियन्ता प्रा० खण्ड लो०नि०वि० लैन्सडौन।

भारत सरकार
पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य क्षेत्र)

पंचम तल, केन्द्रीय भवन,
सैक्टर एच, अलीगंज, लखनऊ–226024
टेलीफैक्स–2324025
दिनाँक : 17.09.2009

पत्र सं0 8बी / यू.सी.पी / 06 / 144 / 2009 / एफ.सी. /708

सेवा में,

प्रमुख सचिव (वन)
उत्तराखण्ड शासन, देहरादून ।

विषय : जनपद पौडी गढवाल मे थानगॉव–भलगॉव–सुरालगॉव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.575 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण।

सन्दर्भ: नाभिक अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक 427 / 1जी–2687(पौढ़ी) दिनाँक 17.08.2009

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर नाभिक अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड का पत्रांक 25 / 1जी–2687(पौढ़ी) दिनाँक 01.07.2009 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा राज्य सरकार ने विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण के अधिनियम 1980 की धारा (2) के तहत भारत सरकार की स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण मे इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक 03.08.2009 के माध्यम से अतिरिक्त जानकारी चाही गयी थी, जिसमे उल्लिखित शर्तो की अनुपालना नाभिक अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के उपरोक्त सन्दर्भित पत्र द्वारा प्रेषित की गयी थी। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है, कि केन्द्र सरकार जनपद पौडी गढवाल में थानगॉव–भलगॉव–सुरालगॉव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.575 है0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरण एवं 202 वृक्षों के पातन की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पक्ष में प्रत्यावर्तित भूमि के बदले प्रस्तावित 3.15 है0 अर्थात 4.0 है0 भलगॉव सिविल सोयम भूमि पर क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पांच वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित) जमा की जायेगी। इस भूमि को वन विभाग के पक्ष मे छः माह में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा तथा इसे आरक्षित / संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202 / 1995 के अन्तर्गत आई0ए0 संख्या 566 एवं भारत सरकार पत्र संख्या 5–3 / 2007–एफ0सी0 दिनांक 05.02.2009 के तहत में दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित मार्ग के दोनों ओर रिक्त स्थानों पर यथोचित् वृक्षारोपण एवं रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान वेतन दरों को समाहित करने हेतु यथासंशोधित)जमा किया जायेगा।
4. उपरोक्त अनुदेशो के अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधिया प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रवन्धन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के लेखा संख्या सी0ए0–1594, कार्पोरेशन बैंक(भारत सरकार का उपक्रम), ब्लाक–11 भूतल सी0जी0ओ0 काम्पलेक्स, फेज–1, लोधी रोड, नई दिल्ली–110003 में जमा कराया जाये।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आवश्यक न्यूनतम वृक्षों का पातन किया जायेगा।

उपरोक्त शर्तो के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाय। प्रयोक्ता अभिकरण को वनभूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही राज्य सरकार द्वारा तब तक कार्यान्वित नहीं की जायेगी जब तक वनभूमि हस्तान्तरण के विधिवत् आदेश भारत सरकार द्वारा जारी नहीं किये जाते ।

भवदीय
(शैलजा सिंह)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :–

1. अतिरिक्त वन महानिदेशक (एफ.सी), पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय, पर्यावरण भवन सी.जी.ओ. काम्पलेक्स, लोधी रोड, नयी दिल्ली–110003.
2. नाभिक अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून।
3. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडॉन वन प्रभाग, कोटद्वार।
4. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडॉन, उत्तराखण्ड।
5. आदेश पत्रावली।

(शैलजा सिंह)
उप वन संरक्षक (केन्द्रीय)

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
लैन्सडौन

संख्याः—जी0आई0ः— 2529 /7—1—2011—600(3083)/2009.

प्रेषक,

श्री राजेन्द्र कुमार,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण,
भूमि सर्वेक्षण निदेशालय,
इन्दिरानगर फॉरेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

वन एवं पर्यावरण विभाग   देहरादून : दिनांक 15 फरवरी, 2011.

विषयः— जनपद—पौड़ी गढ़वाल में थानगाँव—भलगाँव—सुरालगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.575 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्याः 1868/1जी—2687 (पौड़ी) दिनांक 24—01—2011 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय जनपद—पौड़ी गढ़वाल में थानगाँव—भलगाँव—सुरालगाँव मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.575 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु लोक निर्माण विभाग को प्रत्यावर्तन की स्वीकृति भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के पत्र संख्या 8बी/यू.सी.पी./06/144/2009/एफ.सी./2207 दिनांक 10—01—2011 में दी गई स्वीकृति के आधार पर निम्न शर्तों पर प्रदान करते हैं :—

1. वन भूमि की वर्तमान वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रयोक्ता एजेन्सी के व्यय पर वन विभाग द्वारा चिन्हित 4.0 हे0 भलगाँव अवनत सिविल एवं सोयम भूमि पर वन संरक्षण अधिनियम के मार्गदर्शी सिद्धान्त हस्तपुस्तिका के प्रस्तर 3.2(i) 4.2 के अनुसार क्षतिपूरक वृक्षारोपण एवं पाँच वर्षों तक रख—रखाव किया जायेगा।
3. भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति में यह शर्त अधिरोपित की गई है कि प्रश्नगत परियोजना के लिए किये जाने वाले क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत संरक्षित वन घोषित कर वन विभाग के पक्ष में नामान्तरित/हस्तान्तरित किया जायेगा। यदि उक्त अवधि में इस भूमि का वन विभाग को नामान्तरित/हस्तान्तरित नहीं किया जाता है तो भारत सरकार द्वारा प्रदत्त विधिवत स्वीकृति स्वतः समाप्त समझी जायेगी। भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली के पत्र संख्या 11—177/2010—एफसी दिनांक 3—8—2010, जिसके द्वारा सचिव, भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, नई दिल्ली की अध्यक्षता में दिनांक 5—7—2010 को सम्पन्न बैठक में लिये गये निर्णय को राज्य सरकार को प्रेषित किया गया है, उस बैठक के कार्यवृत्त में यह उल्लेख किया गया है कि क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चिन्हित सिविल एवं सोयम वन भूमि को छः माह के अन्तर्गत संरक्षित वन घोषित कर इसके वैज्ञानिक दृष्टि से प्रबन्धन हेतु वन पंचायत नियमावली, 2005 के संगत प्राविधानों के तहत वन पंचायतों को हस्तान्तरित किया जायेगा। उक्त सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा अन्तिम निर्णय लिये जाने के उपरान्त सिविल एवं सोयम वन भूमि के हस्तान्तरण के विषय पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी, परन्तु भारत सरकार के आदेशानुसार इस भूमि को छः माह की अवधि में संरक्षित वन घोषित किया जायेगा।
4. प्रयोक्ता एजेन्सी उक्त भूमि का उपयोग केवल कथित प्रयोजन हेतु ही करेगा तथा वह उक्त भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी अन्य विभाग, संस्था अथवा व्यक्तियों को हस्तान्तरित नहीं करेगा।
5. प्रयोक्ता एजेन्सी के अधिकारी/कर्मचारी अथवा ठेकेदार या उक्त व्यक्तियों के अधीन या उनसे सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार की वन सम्पदा को क्षति नहीं पहुँचायेंगे और यदि उक्त

सत्य प्रति सत्यापित

सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०

23 FEB 2011

संख्या:—जी0आई0:— 2529 /7—1—2011—600(3083)/2009 दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1. मुख्य वन संरक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, केन्द्रीय भवन, सैक्टर—एच, पंचम तल, अलीगंज, लखनऊ।
2. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, उत्तराखण्ड, देहरादून।
4. मुख्य अभियन्ता, स्तर—1, लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. वन संरक्षक, शिवालिक वृत्त, देहरादून।
6. जिलाधिकारी, जनपद—पौड़ी गढ़वाल।
7. प्रभागीय वनाधिकारी, लैन्सडौन वन प्रभाग, कोटद्वार।
8. अधिशासी अभियन्ता, प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, लैन्सडौन।

आज्ञा से

(राजेन्द्र कुमार)
अपर सचिव।

कार्यालय
मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लो0नि0वि0, देहरादून

पृष्ठांकन जे-88/1(1)व0गु0-(ग0क्षे0)-2010 दि0 24-2-2011

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(1) -मुख्य अभियन्ता (ग0क्षे0) लो0नि0वि0 पौड़ी,
(2) -अधीक्षण अभियन्ता, 12 वॉ लो0नि0वि0 पौड़ी।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1
लो0नि0वि0, देहरादून
24-2-11

अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
लैन्सडौन

अधीक्षण अभियन्ता
12वां वृत्त लो0नि0वि0
पौड़ी गढ़वाल

प्रतिलिपि अधिशासी अभियन्ता प्रा0खण्ड लो0नि0वि0 लैन्सडौन को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

अधीक्षण अभियन्ता
12वां वृत्त लो0नि0वि0

3

.एवं जलवायु परिवर्तन

.ार्यालय (उत्तर–केन्द्रीय क्षेत्र)
ुभाष रोड, देहरादून–248001
ूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल - moef.ddn@gov.in

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT,FOREST & CLIMATE CHANGE
REGIONAL OFFICE (NORTH CENTRAL ZONE)
25 SUBHASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- moef.ddn@gov.in

पत्र सं0 08बी/यू0सी0पी0/06/39/2019/एफ0सी0/237।

दिनांक: 07/03/2019

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड, देहरादून।

विषय : जनपद – पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.122 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ: अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड का पत्रांक–2034/FP/UK/ROAD/24764/2017 दिनांक 25.01.2019

महोदय,

उपरोक्त विषय पर Online Proposal No FP/UK/ROAD/24764/2017 एवं अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

इस विषय में मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रश्नगत प्रकरण पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत द्वारीखाल से बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.122 है0 वन भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन किये जाने की सैद्धान्तिक स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रत्यावर्तित भूमि के बदले 4.244 है0 ग्रम–बरसूड़ी सिविल सोयम भूमि पर प्रतिपूरक वृक्षारोपण एवं उसके 10 वर्षो तक रखरखाव हेतु आवश्यक धनराशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुये यथासंशोधित) जमा की जायेगी। उक्त भूमि वन विभाग के स्वामित्व के बाहर है अतः इसे वन विभाग के पक्ष में हस्तान्तरण एवं नामान्तरण किया जायेगा। भूमि के हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के पश्चात् ही इस कार्यालय द्वारा विधिवत स्वीकृति प्रदान की जायेगी।
2. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार के पत्र संख्या 5–3/2007–एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 के तहत दिये गये आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी।
3. शुद्ध वर्तमान मूल्य की दर में अगर बढ़ोतरी होती है, तो बढ़ी हुई दर के अनुसार अतिरिक्त धनराशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा जमा की जायेगी। इस आशय की प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वचन बद्धता प्रस्तुत की जाए।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा यह सुनिश्चित करें कि जमा की गयी सभी निधियां (CA cost, NPV etc.) को वैब पोर्टल पर **Online Generate किए गए चालान के माध्यम द्वारा उचित ऑनलाइन बैंक में जमा किए जाए, अन्य माध्यमों से जमा की गयी धनराशि सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना के रूप में मान्य नहीं होगी।**
5. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी। इस आशय की वचन बद्धता प्रेषित करनी होगी।
6. State Govt. will submit the hard copy of SoI toposheet & digital map of proposed road, justification, FRA certificate, DFO's SIR, muck disposal plan and geologist report, in original.

Photo Copy Attested
Assistant Engineer

उपरोक्त सभी शर्तों के परिपूर्ण एवं बिन्दुवार सुस्पष्ट परिपालन आख्या प्राप्त होने पर ही वन (संरक्षण) नियम, 1980 के तहत विधिवत स्वीकृति जारी की जायेगी। कृपया अपूर्ण परिपालना आख्या इस कार्यालय को प्रेषित न की जाये। राज्य सरकार द्वारा विधिवत् स्वीकृति तथा प्रयोक्ता अभिकरण को वन भूमि हस्तान्तरण की कार्यवाही तब तक नहीं की जायेगी जब तक वन भूमि हस्तान्तरण की विधिवत् स्वीकृति भारत सरकार द्वारा जारी नहीं की जाती। सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालन आख्या प्रेषित करने के पश्चात् **विधिवत् स्वीकृति अन्य आवश्यक शर्तो सहित निम्नलिखित शर्तो के साथ प्रदान की जायेगी:–**

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति बदली नही जाएगी।
2. एन.पी.वी. की दरो में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
3. प्रतिपूरक वृक्षारोपण हेतु चयनित 4.244 है0 ग्राम–वरसूड़ी सिविल एवं सोयम भूमि को छः माह के अन्दर भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अर्न्तगत आरक्षित/संरक्षित वन घोषित किया जायेगा तथा नोडल अधिकारी द्वारा अधिसूचना की एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।
4. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन क्षेत्र के आस–पास मजदूरों/स्टॉफ के लिये किसी भी प्रकार का लेवर कैम्प नहीं लगाया जायेगा।
5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि का चार फीट ऊँचे आर0सी0सी0 पिलर लगाकर सीनांकन करेगा जिन पर Forward एवं Back bearing अंकित किया जायेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों एवं स्टॉफ के लिये रसोई गैस/कैरोसिन तेल की आपूर्ति की जायेगी, जिससे निकटवर्ती वनो को क्षति न पहुँचे।
7. परियोजना के निर्माण व रख–रखाव के दौरान आस–पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव–जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुचायी जायेगी।
8. वन भूमि का प्रयोग प्रस्ताव में दर्शाये गये उद्देश्य के अलावा अन्य किसी उद्देश्य के लिए नही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में इस वन भूमि को किसी अन्य संस्था, विभाग या व्यक्ति के पक्ष में भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना Transfer नहीं किया जाएगा।
9. कम से कम वृक्षों का कटान/पातन किया जाएगा, जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 76 से अधिक न हो।
10. सड़क निर्माण के पश्चात् जहां–जहां सभंव हो सड़क के दोनों किनारों तथा Central Verge पर प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा अपने व्यय पर वन विभाग की देख–रेख में strip plantation की जाएगी।
11. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तुत मलवा निस्तारण योजना के अनुसार प्रभागीय वनाधिकारी की देख–रेख में किया जाएगा एवं निर्दिष्ट स्थानों के अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
12. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
13. ऐसी अन्य कोई भी शर्त जो कि भारत सरकार भविष्य में पर्यावरण, वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण हेतु आवश्यक समझे।

यदि विधिवत् स्वीकृति में दी गई शर्तों का संतोषजनक अनुपालन नहीं किया जाता है तो स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जा सकता है।

भवदीय,

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
I.D.
Kotdwara-Garhwal

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

...कार
..., वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
...कृत क्षेत्रीय कार्यालय, देहरादून
25 सुभाष रोड, देहरादून–248001
दूरभाष: 0135–2650809
फैक्स–0135–2653010
ईमेल- mocf.ddn@gov.in

सत्यमेव जयते

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST & CLIMATE CHANGE
INTEGRATED REGIONAL OFFICE, DEHRADUN
25 SUBASH ROAD, DEHRADUN-248001
PHONE- 0135-2650809
FAX- 0135-2653010
Email- mocf.ddn@gov.in

पत्र सं0 8बी/यू0सी0पी0/06/39/2019/1021 दिनांक: 21/10/2022

सेवा में,

अपर मुख्य सचिव (वन),
उत्तराखण्ड शासन,
सुभाष रोड़, देहरादून।

विषय : जनपद– पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत द्वारीखाल से बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.122 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन। **(Online Proposal no. FP/UK/Road/24764/2017)**

सन्दर्भ: वन संरक्षक, कार्यालय– अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन की पत्र संख्या–986/ **FP/UK/Road/24764/2017** दिनांक **13-10-2022**

महोदय,

उपरोक्त विषय पर अपर सचिव, उत्तराखण्ड शासन के पत्र दिनांक 12.02.2019 का आशय ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर केन्द्र सरकार से वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा–2 के तहत स्वीकृति मांगी थी।

प्रश्नगत प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक–07.03.2019 द्वारा प्रस्ताव में सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान की गयी थी जिसमें उल्लिखित शर्तो की अनुपालना अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत कर दी गयी है। राज्य सरकार के प्रस्ताव पर ध्यानपूर्वक विचार करने के उपरान्त केन्द्र सरकार जनपद– पौड़ी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत द्वारीखाल से बरसूड़ी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 2.122 हे0 वन भूमि का गैर वानिकी कार्य हेतु ग्राम्य विकास विभाग को प्रत्यावर्तन हेतु विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान करती है:–

1. वन भूमि की विधिक परिस्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर–वानिकी भूमि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा सौंपने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. प्रतिपूरक वनीकरण

   (क) वन विभाग द्वारा प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर 4.244 है0 ग्राम बरसूड़ी खसरा सं0 166 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये।

   (ख) क्षतिपूरक वनीकरण के उद्देश्य से उक्त भूमि वन विभाग को हस्तांतरित कर दी गयी है तथा अवगत कराया गया है कि *"1893 राजपत्र के अनुसार यह भूमि संरक्षित वन क्षेत्र है तथा उक्त भूमि का अमल दरामद राजस्व विभाग से वन विभाग के पक्ष में कर दिया गया है एवं इसकी वर्तमान स्थिति संरक्षित वन की है"* अतः राज्य सरकार उक्त भूमि जो अब वन विभाग के पक्ष में हस्तांतरित कर दी गयी है को अपनी कार्य योजना में शामिल करना सुनिश्चित करें।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
I.D.
Kotdwara-Garhwal

(ग) प्रत्यावर्तित किए जाने वाले क्षेत्र की के0एम0एल फाईल, क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण क्षेत्र, प्रस्तावित एस0एम0सी कार्य, प्रस्तावित कैचमेंट एरिया ट्रीटमेंट क्षेत्र और डब्ल्यू0एल0एम0पी क्षेत्र को राज्य सरकार द्वारा अपने स्तर पर कार्य अनुमति जारी करने से पहले सभी आवश्यक विवरणों के साथ ई–ग्रीन वॉच पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा ।

घ) राज्य सरकार विधिवत् स्वीकृति का अंतिम आदेश जारी करने से पूर्व धनराशि रू0 1300918/– हेतु संसोधित सी.ए. स्कीम इस कार्यालय में प्रेषित करेगी।

4. वन अधिकार अधिनियम, 2006 का पूर्ण अनुपालन संबंधित जिला कलेक्टर द्वारा जारी–प्रमाण पत्र से सुनिश्चित किया जाएगा

5. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को यथासंभव न्यूनतम रखेगा जिनकी सं0 प्रस्ताव के अनुसार वन भूमि में 76 trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगें।

6. प्रयोक्ता अभिकरण आईआरसी मानदंडों के अनुसार सड़क के दोनों किनारों पर पौंधों की संख्या बढ़ाएगा।

7. संरक्षित क्षेत्रों / वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज लगाए जाएंगे।

8. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, यदि आवश्यक हो तो प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करेगा।

9. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले–आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।

10. वन भूमि एवं आस–पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

11. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्यीय वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।

12. संबंधित प्रभागीय वनाधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा। जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हों।

13. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अंदर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।

14. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।

15. केंद्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
I.D.
Kotdwara Garhwal

2/3 contd..

प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाएगा। मलवा निस्तारण क्षेत्र में वृक्षों की कटाई की अनुमति नहीं होगी।

17. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते है तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना राज्य सरकार/प्रयोक्त एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

18. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय–समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।

भवदीय,

21.10.22

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. अपर वन महानिदेशक (एफ0सी0), पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इन्दिरा पर्यावरण भवन, जोरबाग रोड, अलीगंज, नई दिल्ली।
2. अपर प्रमुख वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी, वन संरक्षण, इन्दिरा नगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड।
3. आदेश पत्रावली।

Photo Copy Attested

Assistant Engineer
I.D.
Kotdwara-Garhwal

(सन्नी गोयल)
तकनीकी अधिकारी (वानिकी)